अनुदान संख्या 6 - उर्वरक विभाग
GRANT No. 6 - DEPARTMENT OF FERTILISERS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	168127,20,00		191820,93,00	191816,11,58	-4,81,42
पूरक	Supplementary	23693,73,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					4,80,97
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	3,61,00		15,36,00	8,06,12	-7,29,88
पूरक	Supplementary	11,75,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					7,29,85

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः –

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2401"	Major Head "2401"				
फसल कृषिकर्म	Crop Husbandry				
मू.	O.	4500000.00			
पू.	S.	969373.00	5541000 .00	5541000.00	..
पु.	R.	71627.00			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	12308231.00			
पू.	S.	1400000.00	13636521.25	13636521.13	-0.12
पु.	R.	-71709.75			

(I) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹252.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹252.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2852" – "उर्वरक उद्योग" के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा, जैसा कि प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है:–

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2852" - "Fertilizer Industries" remained wholly unutilized as shown against each:-

(का) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–यूरिया सब्सिडी" – ₹1051098.00 लाख के मूल प्रावधान को मार्च, 2025 में ₹16600.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹1067698.00 लाख तक बढ़ा दिया गया। तथापि, ₹35945.75 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(A) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Urea Subsidy" - the original provision of ₹1051098.00 lakhs was augmented to ₹1067698.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹16600.00 lakhs in March, 2025. However, there was a saving of ₹35945.75 lakhs (including supplementary grant); and

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – यूरिया सब्सिडी"– ₹563363.00 लाख के मूल प्रावधान को मार्च, 2025 में ₹8600.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹571963.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, ₹37440.75 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Urea Subsidy" - the original provision of ₹563363.00 lakhs was augmented to ₹571963.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹8600.00 lakhs in March, 2025. However, there was a saving of ₹37440.75 lakhs (including supplementary grant).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत नीति आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वदेशी यूरिया और आयातित यूरिया में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति घटकों के लिए आंतरिक समायोजन/प्रतिशतता आबंटन 8.3% से 4.3% लाने के लिए संशोधित अनुमान चरण पर निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to re-appropriation of funds at revised estimates stage for internal adjustments/bringing the percentage allocation for SC/ST components in Indigenous Urea and Imported Urea to 8.3% to 4.3% as per NITI Aayog Guidelines.

(III) मुख्य शीर्ष “2852” – “उर्वरक उद्योग” के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) “अनुसंधान एवं विकास – जैविक उर्वरकों का संवर्धन” – ₹1543.86 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “उर्वरक सब्सिडी – जैविक उर्वरकों का संवर्धन” – ₹4594.00 लाख की बचत (₹6953.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत कम बिल प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹389.50 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 57 प्रतिशत है।

2.(I) उपर्युक्त बचत (₹71627.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि दिसंबर, 2024 में मुख्य शीर्ष “2401” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹659373.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था:–

(का) “खाद एवं उर्वरक – पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति” – ₹18685.00 लाख।

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति” – ₹40730.00 लाख।

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति” – ₹12212.00 लाख।

(II) बचत मुख्य शीर्ष “2852” – “उर्वरक उद्योग – उर्वरक सब्सिडी – यूरिया सब्सिडी” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई– ₹8671.49 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2025 में प्राप्त ₹174800.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹10858319.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की

(III) Under Major Head “2852” - “Fertilizer Industries” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Research and Development - Promotion of Organic Fertilizers” - saving of ₹1543.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs); and

(B) “Fertilizer Subsidy - Promotion of Organic Fertilizers” - saving of ₹4594.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6953.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less bills.

(IV) Under one head saving of ₹389.50 lakhs occurred constituting 57 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹71627.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grants of ₹659373.00 lakhs in December, 2024 under Major Head “2401” - under the following heads:-

(A) “Manures and Fertilizers - Nutrient Based Subsidy Policy” - ₹18685.00 lakhs.

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Nutrient Based Subsidy Policy” - ₹40730.00 lakhs.

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Nutrient Based Subsidy Policy” - ₹12212.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2852” - “Fertilizer Industries - Fertilizer Subsidy - Urea Subsidy” - excess of ₹8671.49 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹10858319.00 lakhs including supplementary grant of

तुलना में) यूरिया की अधिक बिक्री होने की वजह से सब्सिडी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

₹174800.00 lakhs obtained in March, 2025) was due to requirement of additional funds towards subsides owing to more sale of urea.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचत (₹729.88 लाख) दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹1175.00 लाख की पूरक अनुदानों का 62 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 48 प्रतिशत थी।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹729.88 lakhs) constituted 62 percent of the supplementary grants of ₹1175.00 lakhs obtained in December, 2024 and 48 percent of the total sanctioned provision.

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:–

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "5475"	Major head "5475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	356.00			
पू.	S.	1175.00	806.15	806.12	-0.03
पु.	R.	-724.85			

(I) ₹5.00 लाख का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹5.00 lakhs remained wholly unutilized under five heads.

(II) "निदेशन और प्रशासन – संबद्ध कार्यालय – आर्थिक सेवाएं" के अंतर्गत ₹20.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1175.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1195.00 लाख कर दिया गया। तथापि, जो डीबीटी साफ्टवेयर के खरीद प्रस्ताव का मूर्त रूप न लेने की वजह से ₹595.56 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under "Direction and Administration - Attached Offices-Economic Services" - the original provision of ₹20.00 lakhs was augmented to ₹1195.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1175.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹595.56 lakhs - due to non-materialization of purchase proposal of DBT software.